गुजरात में विद्युत परियोजनाओं की निगरानी

81. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात की कतिपय विद्युत परियोजनाओं/योजनाओं पर निगरानी रखी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस निगरानी संबंधी कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार की जानकारी में क्या-क्या खामियां आई;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): (क) जी, हां।

(ख) गांधार सीसीजीटी की मुख्य गैस पाइपलाइन की तैयारी, मुख्य संयंत्र के सिविल कार्य और आपूर्ति तथा उत्पादन कार्य और कच्छ लिग्नाइट यूनिट-3 गांधीनगर टीपीएस विस्तार यूनिट-5, कदाना पीएसएस विस्तार और सरदार सरोवर परियोजना के उपस्कर/मशीनरी की प्रगति की पिछले तीन वर्षों के दौरान मानीटरिंग की गयी थी।

(ग) गांधार सीसीजीटी के लिए सभी तीन गैस टरबाइनों को चलाने के लिए पर्याप्त गैस की उपलब्धता, निधियों की कमी, सिविल निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति, मशीनरी और उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब और उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित परियोजनाओं के संबंध में उनके उत्थापन के बारे में कमियां देखी गई।

(घ) इन विद्युत परियोजनाओं को समय पर चालू करने को सुनिश्चित करने के वास्ते विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण उनकी प्रगति की सघनता से मानीटरिंग कर रहे हैं और संबद्ध प्राधिकरणों के साथ मामले को उठाकर परियोजनाओं को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

External Debt

82. **SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL:** Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what was the amount of external debt against the country as on 31st December, 1995 which is to be repaid alongwith interest and from which countries it was obtained; and

(b) what is the amount of External Financial assistance received by the country during the said period which will not be repaid and from which countries it was obtained?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) According to the latest estimates, which relate to 30.9.95, total external debt was Rs. 3,18,319 crores. The debt is from diversemultilateral and bilateral official agencies, commercial, NRI and other sources. Because of the nature of underlying transactions involved, details of country-wise origin of total debt are not available, and perhaps not very meaningful to define.

(b) The external financial assistance during 1995-96 upto September 30, 1995 on Government Account which will not be repaid is Rs. 249.29 crores. The sources from which it has been received are Canada, Denmark, France, Japan, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, U.K., U.S.A., Germany, Japan, EEC, UNDP/UN, and the World Bank.

Requirement of power in Assam

83. **SHRI PARAG CHALIHA:** Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the details of power requirement of Assam as per current Five Year Plan asessments;

(b) the details of Central Assistance provided so far; and

(c) the details of its utilisation as on date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL) (a) The details of energy requirement in the State of Assam during the current Five Year Plan (upto January, 96) are given below:

Year	Energy requirement (in Million Unit) (Net)
1992-93	2423.7
1993-94	2368.0
1994-95	2437.1
1995-96 (upto Jan. 96)	2373.4

(b) and (c) The Net Central Assistance provided to the State of Assam and the actual plan expenditure during the current Five Year Plan is as under:

(Rs. in crore)

Year	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
Net Central Assistance	754.73	846.36	863.89	948.61
@Actual Plan Expenditure	649.15	856.44	1042.82	1418.32*

*Approved Outlay.

@Acutal utilisation of Central Assistance is not available separately.

बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

84. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात में अनुसूचित और अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जिला-वार औसत ऋण-जमा अनुपात कितना था;

(ख) इसका गत तीन वर्षों का जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऋण-जमा अनुपात में असन्तुलन को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल): (क) और (ख) वर्ष 1993, 1994 और 1995 के लिए जून के अन्त की स्थिति के अनुसार, गुजरात में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जिला-वार ऋण जमा अनुपात विवरण में दिया गया है। नीचे देखिए)।

(ग) से (ङ) जून, 1995 के अंत की स्थिति के अनुसार गुजरात में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण-जमा अनुपात अखिल भारत स्तर पर 61.1 प्रतिशत की तुलना में 47.7 प्रतिशत था। गुजरात सहित उन राज्यों में जहां ऋण जमा अनुपात कम है, भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित राज्यों के संयोजक बैंकों से कहा था कि वे ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए उपायों का पता लगाने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबी सी) की विशेष बैठक आयोजित करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गुजरात की एसएलबीसी ने वर्ष 1993 में एक कार्यकारी समूह का गठन किया था जिसने इस समस्या का गहराई से अध्ययन किया। कार्यकारी समूह द्वारा की गई कुछ प्रमुख टिप्पणियां ये है कि राज्य से बाहर मंजूर की जा रही ऋण की राशि का गुजरात में उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कपड़ा उद्योग में विद्युत संकट और अभाव ने ऋण खपत क्षमता को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया है जिस कारण राज्य में ऋण जमा अनुपात कम है। एसएलबीसी की बैठक में ऋण जमा अनुपात के स्तर की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।